


मुन्तकिली प्रकरण सं० 38/2016 अनवानी छिन्द्रपाल कौर पुत्री तेजासिंह पत्नि मेजरसिंह जाति जटसिख निवासी 4बी छोटी तह० श्रीगंगानगर बनाम 1-गुडडी उर्फ रणजीत कौर पुत्री तेजा सिंह पत्नि सुखदेव सिंह जाति जटसिख नि० 79 एलएनपी तह० पदमपुर 2-बलवंतसिंह पुत्र तेजासिंह/8-तहसीलदार, श्रीगंगानगर

11.02.2017



पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थीया के अभिभाषक श्री विक्रम पूनिया उपस्थित है। अप्रार्थीगण गुडडी बलवंतसिंह के अभिभाषक श्री जगदीश गोदारा उपस्थित है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री जगदीश गोदारा का कथन है कि प्रार्थीया द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में लम्बित प्रकरण संख्या 29/2008 अनवानी गुडडी बनाम तेजा सिंह आदि धारा 53, 88 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज० काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा० पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थीया के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नहीं है।

मैंने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीया द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में लम्बित प्रकरण संख्या 29/2008 अनवानी गुडडी बनाम तेजा सिंह आदि धारा 53, 88 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज० काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये हैं। इसलिए अब यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नहीं है। अतः मुन्तकिली प्रा० पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/11/17

(ज्ञानो राम)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

429
21/02/2017